

न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकरी, लोहरदगा।
(नीलाम पत्र शाखा)

वाद संख्या 14/11-12, टी0आर0 न0 125/20-21

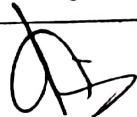
कार्यपालक अभियंता विद्युत, लोहरदगा :- अधियाची विभाग
बनाम

श्री ओम प्रकाश लाल अग्रवाल, ग्राम-मिशन चौक, लोहरदगा,
पो0+थाना-लोहरदगा, जिला-लोहरदगा देनदार

आदेश

14/6/21 यह नीलाम पत्र वाद कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, लोहरदगा द्वारा देनदार श्री ओम प्रकाश लाल अग्रवाल, पिता-शून्य, ग्राम-मिशन चौक, लोहरदगा, पो0+ थाना-लोहरदगा, जिला-लोहरदगा पर बिजली विपत्र/बिल राशि भुगतान नही करने के विरुद्ध मो0 69738/- (उन्हत्तर हजारसात सौ आड़तीस) रुपये का नीलाम पत्र वाद की धारा 5 के अन्तर्गत दिनांक 30/9/10 को अधियाचना समर्पित किया है।

नीलाम पत्र वाद धारा 5 के अन्तर्गत अधियाचना समर्पित करने के पश्चात नीलाम पत्र वाद धारा 7 के अन्तर्गत दिनांक 18.04.2011 को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस निर्गत कर तामिला हेतु भेजा गया। तामिला कर्ता द्वारा यह स्पष्ट करते हुए वापस किया गया कि देनदार के पिता के नाम नहीं रहने के कारण नोटिस तामिला नहीं हो पाया। तत्पश्चात् भी पत्रांक 81, दिनांक 13.07.16, पत्रांक 130, दिनांक 16.12.16, पत्रांक 153, दिनांक 30.12.16, निर्गत किया गया। साथ ही व्याज जोडते हुए मो0 74475/- रुपये का गिराफ्तारी वारंट भी कार्यालय पत्रांक 28, दिनांक 18.01.17 निर्गत किया गया। वाद में पत्रांक 92, दिनांक 13.12.17, पत्रांक 65, दिनांक 07.03.18, पत्रांक 90, दिनांक 04.04.18 भी भेजा गया किन्तु कोई भी पत्र तामिला नहीं हुआ। तब कार्यालय पत्रांक 116, दिनांक 02.05.18 द्वारा पिता का नाम एवं स्पष्ट पता उपलब्ध कराने हेतु सीधे कार्यपालक अभियंता विद्युत



प्रमण्डल, लोहरदगा को भेजा गया।

यह वाद दिनांक 23.11.2020 को हस्तान्तरण के पश्चात् शूद की राशि समाहित करते हुए अंतिम रूप से कार्यालय पत्रांक 88, दिनांक 24.12.2020 के द्वारा पुनः नोटिस निर्गत किया गया। जिसपर भी बिना तामिला के नोटिस वापस आया उसपर भी स्पष्ट लिखा गया कि पिता का नाम नहीं होने के कारण तामिला नहीं हो सका। तब पुनः कार्यालय के पत्रांक 89, दिनांक 08.02.2021 एवं पत्रांक 222, दिनांक 24.03.2021 के द्वारा पिता का नाम एवं पता देने हेतु लिखा गया किन्तु इसका भी कोई जवाब नहीं प्राप्त है।

अतः उपरोक्त स्थिति में अधियाची विभाग के अभिरुचि नहीं होने की स्थिति में धारा 53 (2) के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश लाल अग्रवाल, पर दायर वाद संख्या 14/11-12, टी0आर0 न0 125/20-21 को समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति कार्यपालक अभियंता विद्युत, लोहरदगा को भेजें।


सत्यापित/लेखापित


जिला नीला पत्र पदाधिकारी,
लोहरदगा